दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

निर्णय दिया गयाः29.05.2023

आ.प्र.अ.(मू.वा.) (वाणिज्यिक) 59/2023 एवं सि.वि. सं. 14793/2023 व 794/2023

टुमोरो सेल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड .... अपीलार्थी

बनाम

एसबीएस होल्डिंग्स, इंक. एवं अन्य .... प्रत्यर्थीगण

अधिवक्तागण जो इस मामले में उपस्थित हुएः

अपीलार्थीगण हेतु: श्री शशांक गर्ग, श्री अमन गुप्ता, श्री अथर्व कोप्पल और सुश्री निष्ठा जैन, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण हेतु: श्री गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, श्री रंजीत नायर, श्री अल्तमश कुरैशी, सुश्री आकृति आर्य एवं श्री हर्षित सहित, अधिवक्तागण।

कोरम
माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बखरु
माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

निर्णय

न्या. विभु बखरु

परिचय

1. अपीलार्थी, टुमॉरो सेल्स एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद **'टीएसए'**) ने माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद **'ए एंड सी अधिनियम'**) की धारा 37 के अंतर्गत वर्तमान अंतर-न्यायालय अपील दायर की है, जिसमें ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत ***ओएमपी (आई) (कॉम) 71/2023*** शीर्षक से ***'एसबीएस होल्डिंग इंक बनाम अनंत कुमार चौधरी व अन्य*** होते हुए प्रत्यर्थी सं.1, एसबीएस होल्डिंग्स इंक.(इसके बाद '**एसबीएस**') के माध्यम से दायर याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 07.03.2023 के आदेश (इसके बाद **'आक्षेपित आदेश'**) पर आक्षेप किया गया है।

2. एसबीएस ने उपरोक्त याचिका दायर की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई थी कि टीएसए और प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 को अपनी आस्तियों और बैंक खातों के विवरण का प्रकटन करने का निर्देश दिया जाए और आगे ब्याज के साथ दिनांक 10.02.2023 को कुल 9,62,08,119/- रुपये (भारतीय रुपये नौ करोड़ बासठ लाख आठ हजार एक सौ उन्नीस) की राशि हेतु 12,12,838.98 एसजीडी (सिंगापुर डॉलर बारह लाख बारह हजार आठ सौ अड़तीस और अट्ठानवे सेंट), 2,46,196.96 यूएसडी (संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर दो लाख छियालीस हजार एक सौ छियानवे सेंट) और 11,02,612 जेपीयाई (जापानी येन ग्यारह लाख दो हजार छह सौ बारह) की राशि हेतु एक

सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा, एसबीएस ने टीएसए और प्रत्यर्थी सं.2 से 4 से विल्लंगम रहित स्थावर या अस्थावर आस्तियों के संबंध में किसी भी तृतीय-पक्षकार का हित/अधिकार/अभिनाम बनाने से अवरुद्ध करने का आदेश मांगा।

3. एसबीएस ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (इसके बाद **'एसआईएसी'**) के नियमों और तत्वावधान में संचालित माध्यस्थम् कार्यवाही के अनुसार एक माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिनांक 22.12.2022 को दिए गए माध्यस्थम् पंचाट (इसके बाद '**माध्यस्थम् पंचाट**')के संदर्भ में एसबीएस को निर्णीत की गई राशि को सुरक्षित करने हेतु उपरोक्त अंतरिम उपायों की मांग की।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 (इसके बाद 'दावेदार' के रूप में संदर्भित) ने माध्यस्थम् कार्यवाही का स्थापन किया था जो माध्यस्थम् पंचाट की पराकाष्ठा थी। प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 व्यक्ति हैं और प्रत्यर्थी सं.5, एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद **'ट्रांसपोल'**) के संप्रवर्तक हैं।

5. एसबीएस आक्षेपित आदेश के संदर्भ में अंतरिम उपाय प्राप्त करने में अभिभावी है। आक्षेपित आदेश द्वारा, टीएसए और प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 को शपथ-पत्र पर भारत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में उनके द्वारा रखी गई जमा शेष राशि के साथ उनकी स्थिर आस्तियों और बैंक खातों के प्रकटीकरण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में एसबीएस के पक्ष में अधिनिर्णीत की गई राशि की सीमा तक उनकी किसी भी

विल्लंगमरहित स्थावर आस्तियों के संबंध में उन्हें किसी भी तृतीय-पक्षकार के हित/अधिकार/अभिनाम बनाने से अवरुद्ध कर दिया गया है।

6. टीएसए माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं था। टीएसए ने माध्यस्थम् कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए दावेदारों को वित्त पोषित किया था, परंतु वह माध्यस्थम् करार या माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीएसए माध्यस्थम् पंचाट का पक्षकार नहीं है। यह टीएसए के विरुद्ध निर्देशित नहीं है और एसबीएस के पक्ष में दिया गया पंचाट टीएसए के विरुद्ध भी नहीं है। इस प्रकार, टीएसए का दावा है कि वह एसबीएस को किसी भी राशि का भुगतान करने का दायी नहीं है और उसे अपनी आस्तियों का प्रकटीकरण करने और किसी भी आस्ति को स्थानांतरित करने या अन्यसंक्रांमण करने से अवरुद्ध करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश दोषपूर्ण है।

7. एसबीएस के अनुसार, टीएसए अधिनिर्णीत की गई राशि का भुगतान करने का दायी है। एसबीएस का दावा है कि उसके पक्ष में अधिनिर्णीत की गई राशि दावेदारों द्वारा स्थापित की गई माध्यस्थम् कार्यवाही का प्रतिवाद करने में हुए उपगत खर्च से संबंधित है। एसबीएस का प्रतिविरोध है कि चूंकि माध्यस्थम् कार्यवाही टीएसए द्वारा प्रदान किए गए धन के समर्थन से प्रारंभ की गई थी, टीएसए भी अधिनिर्णीत की गई राशि का भुगतान करने का दायी है, भले ही वह माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं था। इसके अलावा, यह दावा

किया गया है कि टीएसए के पास माध्यस्थम् कार्रवाई पर पूर्ण नियंत्रण था और यदि दावेदार अपने दावों में सफल होते तो इसने माध्यस्थम् पंचाट के लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वित्त पोषित किया था।

तथ्यात्मक संदर्भ

8. टीएसए को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- 1 (च) के अर्थ के अंतर्गत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत है।

9. टीएसए का मामला यह है कि दिसंबर 2018 में, दावेदारों (अर्थात्, अनंत कुमार चौधरी, विवेक शुक्ला, प्रवीण चंद्र राय और एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड) ने एसआईएसी के समक्ष माध्यस्थम् कार्यवाही हेतु निधि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

10. उस समय, एक एडवांस कार्गो मूवर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद **परिचालन लेनदार**') ने ट्रांसपोल के संबंध में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (इसके बाद **'एनसीएलटी'**) के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की थी। परिचालन लेनदार ने दावा किया कि उसने मुंबई बंदरगाह (जेएनपीटी) से दहेज तक सामग्री के परिवहन के उद्देश्य से ट्रांसपोल को सहायता प्रदान की थी। परिचालन लेनदार ने उसके

द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक चालान(इनवॉइस) बनाया परंतु उसका भी भुगतान नहीं किया गया। इसमें दावा किया गया कि ट्रांसपोल द्वारा प्रति वर्ष 24% की दर से ब्याज सहित ₹4,22,820/- की राशि देय थी। प्रारंभ में, ट्रांसपोल ने उक्त याचिका का प्रतिरोध किया था, यद्यपि, एनसीएलटी के समक्ष अंतिम बहस के समय, ट्रांसपोल के विद्वान अधिवक्ता ने अपना दायित्व स्वीकार किया, और परादेय दायित्व के परिनिर्धारण में असमर्थता व्यक्त की। तदनुसार, दिनांक 04.09.2019 [(आईबी)-1373 (एनडी) 2019] के एक आदेश द्वारा, परिचालन लेनदार द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया गया था।

11. स्वीकृत रूप से पिछले कुछ समय से ट्रांसपोल की वित्तीय स्थिति का क्षय हो गया था। दावेदारों के अनुसार, ट्रांसपोल का वित्तीय संकट एसबीएस के कारण हुआ था। उन्होंने प्रतिविरोध किया कि ट्रांसपोल को वर्ष 2004 में निगमित किया गया था और पिछले कुछ वर्षों में यह और सशक्त हो गया है। वर्ष 2011-2013 के दौरान दो निजी इक्विटी फर्मों ने ट्रांसपोल में निवेश किया था, परंतु ये सारभूत विवरणी के साथ निर्गम हो गईं। दावेदारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ , दावा किया कि ट्रांसपोल इस समझ के साथ एसबीएस के साथ गठबंधन में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गया था कि वे अपने व्यवसाय को एकीकृत करेंगे और 2017 के अंत तक, ट्रांसपोल एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाएगा। यद्यपि, एसबीएस ने एसबीएस समूह

के व्यवसाय को एकीकृत करने और ट्रांसपोल की कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करने की अपनी बाध्यता को भंग किया। दावेदारों ने आरोप लगाया कि एसबीएस के आचरण के परिणामस्वरूप ट्रांसपोल के बैंकों ने ट्रांसपोल को ऋण देना बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसपोल अपनी गतिविधियों को जारी रखने में असमर्थ हो गया।

12. टीएसए ने माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपरोक्त दावों को आगे बढ़ाने के लिए दावेदारों को निधि उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की। दिनांक 20.12.2018 को, टीएसए ने एक बेस्पोक फंडिंग एग्रीमेंट (इसके बाद **'बीएफए'**) किया, जिसके अंतर्गत टीएसए ने दावेदारों को एसबीएस और एक ग्लोबल एंटरप्राइज लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर (इसके बाद **'जीईएल'**) के विरुद्ध लगभग ₹ 250 करोड़ की हानि की वसूली हेतु अपने दावे को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

13. इसके बाद दिनांक 25.02.2019 को, दावेदारों ने एसबीएस के विरुद्ध हानि की वसूली हेतु अपने दावों को संदर्भित कर मध्यस्थता हेतु एक नोटिस जारी किया। दावेदारों, जीईएल और एसबीएस के मध्य विवादों को मध्यस्थता (2019 का एसआईएसी माध्यस्थम् सं.105) हेतु संदर्भित किया गया था, जिसे एसआईएसी के तत्वावधान में और सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, माध्यस्थम् नियम (6 वें संस्करण, 2016) के अनुसार संचालित किया गया

था (इसके बाद '**एसआईएसी नियम**')। माध्यस्थम् कार्यवाही का दृढ़तापूर्वक प्रतिविरोध किया गया और यह माध्यस्थम् पंचाट की थी। दावेदार एसबीएस और जीईएल (सामूहिक रूप से 'एसबीएस प्रत्यर्थीगण' के रूप में संदर्भित) के विरुद्ध अपने दावों पर अभिभावी नहीं रहे। इसके अलावा, माध्यस्थम् अधिकरण ने एसबीएस प्रत्यर्थीगण के पक्ष में जुर्माने का अधिनिर्णय सुनाया।

14. माध्यस्थम् पंचाट का विशिष्ट भाग इस प्रकार हैः

> "863. अपने समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अधिकरण अंततः निम्नानुसार घोषणा और निर्धारण करता है।
>
> (क) सभी दावेदारों के दावे भंग होने और राहत के अनुरोध को खारिज किया जाता हैं;
>
> (ख) दावेदारों को 887,714.50 एसजीडी के माध्यस्थम् जुर्माने और अपने स्वयं के विधिक और अन्य जुर्मानों को वहन करना होगा;
>
> (ग) दावेदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्र.1 हेतु दायी हैं, और प्र.1 को इस पंचाट की प्राप्ति की तिथि के 21 दिन के भीतर 8जीडी 209,782.32 की राशि का भुगतान करेंगे, जिसके बाद इस राशि पर 5.33% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज तब तक चलेगा जब तक आदेशित जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।
>
> (घ) दावेदार संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्र.2 हेतु दायी हैं, और प्र.2 को इस पंचाट की प्राप्ति की तिथि के 21 दिन के भीतर 1,212,838.98 एसजीडी, 246,196.96 यूएसडी, और 1,102,612 जेपीयाई की राशि का भुगतान करेंगे, जिसके बाद

इस राशि पर 5.33% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा जब तक कि आदेशित जुर्माने का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।"

15. माध्यस्थम् कार्यवाही के शुरू होने से पहले (एसआईएसी माध्यस्थम् सं.105 का 2019) जो माध्यस्थम् पंचाट की पराकाष्ठा है, जिसे जीईएल ने एक अन्य कंपनी ट्रांसपोल हांगकांग के रूप में संदर्भित को 250,00,00,000 जेपीयाई (जापानी येन दो सौ पचास करोड़)वितरित किया था, जो दावेदारों के समूह से संबंधित था। ट्रांसपोल उक्त राशि हेतु प्रत्याभूति-दाता के रूप में था।

16. ट्रांसपोल, हांगकांग ने उक्त ऋण चुकाने में चूक की। और, इसने एसबीएस, सिंगापुर (जो जीईएल का समनुदेशिती था) को एसआईएसी नियमों के अंतर्गत ट्रांसपोल और ट्रांसपोल, हांगकांग के विरुद्ध एक माध्यस्थम् कार्यवाही शुरू करने हेतु प्रेरित किया। उक्त कार्यवाही एसबीएस, सिंगापुर के पक्ष में दिनांक 25.10.2017 (इसके बाद **'मध्यस्थता पंचाट सं.114'**) के एक माध्यस्थम् पंचाट की पराकाष्ठा थी। एसबीएस सिंगापुर ने इस न्यायालय में ट्रांसपोल के विरुद्ध उक्त माध्यस्थम् पंचाट सं.114 को लागू करने हेतु एक याचिका दायर की।[1] यद्यपि, एसबीएस, सिंगापुर अपने पक्ष में अधिनिर्णीत राशि वसूलने में असमर्थ रहा है। एसबीएस का दावा है कि उसे पता चला कि ट्रांसपोल के पास माध्यस्थम् पंचाट सं.114 को संतुष्ट करने हेतु पर्याप्त आस्तियां नहीं थी, इसलिए, उसका उन्मोचन नहीं किया गया है।

---

[1] ***एसबीएस लॉजिस्टिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसबीएस ट्रांसपोल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड.*** **ओएमपी(ईएफए)(वाणि.) सं. 4/2018**

17. दावेदार माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में उनके विरुद्ध अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने में भी विफल रहे हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, एसबीएस ने दिनांक 19.01.2023 को एक पत्र भेजकर टीएसए से माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में राशि का भुगतान करने का आह्वान किया। टीएसए ने दिनांक 21.01.2023 को एक पत्र द्वारा प्रत्युत्तर दिया, इस बात से इनकार करते हुए कि दावेदारों पर अधिरोपित जुर्माने का भुगतान करने की उस पर कोई बाध्यता थी। इसमें दावा किया गया कि चूंकि दावेदार अपने दावों पर अभिभावी नहीं रहे, इसलिए बीएफए दिनांक 22.12.2022 (माध्यस्थम् पंचाट की तिथि) की पराकाष्ठा थी और उसके बाद इस पर कोई और बाध्यता नहीं थी।

18. एसबीएस ने दिनांक 15.02.2023 को एक पत्र भेजा जिसमें टीएसए द्वारा अपने दिनांक 21.01.2023 के पत्र में किए गए दावों का खंडन किया गया और दावा किया गया कि टीएसए माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में अधिनिर्णीत जुर्माने को पूरा करने के लिए बाध्य था। एसबीएस ने टीएसए से यह भी आह्वान किया कि वह माध्यस्थम् पंचाट की संतुष्टि को विफल करने के लिए अपनी आस्तियों के अपव्यय या उसे निपटाने से बचें।

19. उपरोक्त परिस्थितियों में, एसबीएस ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था और अपने पक्ष में अधिनिर्णीत राशि को सुरक्षित करने हेतु अंतरिम उपायों की मांग की थी।

आक्षेपित आदेश

20. यह एसबीएस का मामला है कि दावेदारों के पास माध्यस्थम् पंचाट को संतुष्ट करने के साधन नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यर्थी सं.2 चार कंपनियों का निदेशक था, जिनमें से दो को हटा दिया गया है जबकि तीसरी (ट्रांसपोल) परिसमापन के अधीन है। इसी प्रकार, प्रत्यर्थी सं.3 तीन कंपनियों का निदेशक था, जिनमें से दो को हटा दिया गया था और जैसा कि ऊपर कहा गया है, ट्रांसपोल परिसमापन के अधीन है। इस प्रकार, ट्रांसपोल परिसमापन के अधीन है और उसका कोई प्रचालन या आस्तियां नहीं थी।

21. एसबीएस की ओर से यह भी प्रतिविरोध किया गया कि टीएसए ने न केवल माध्यस्थम् कार्यवाही को वित्त पोषित किया था परंतु इसे काफी हद तक नियंत्रित भी किया था। यदि दावेदार माध्यस्थम् कार्यवाही में अभिभावी होते तो टीएसए को इससे लाभ होता। एसबीएस ने दावा किया कि बीएफए ने स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया है कि टीएसए की पूर्व सहमति के बिना बजट योजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है; यदि माध्यस्थम् अधिकरण ने पाया कि एसबीएस माध्यस्थम् कार्यवाही हेतु उचित पक्षकार नहीं था, तो उसके पास माध्यस्थम् कार्यवाही का वित्तपोषण बंद करने का पूर्ण विवेक था; और, टीएसए को सूचित किए बिना दावेदारों द्वारा कोई समझौता या आंशिक समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, टीएसए के पास वसूले

गए नुकसान पर एक अनन्य, निरंकुश अधिकार था और इसकी दावेदारों के किसी भी अधिकार पर अग्रता होगी।

22. एसबीएस ने दावा किया कि टीएसए ने अपने लाभ हेतु माध्यस्थम् कार्यवाही को वित्त पोषित किया और प्रतिविरोध किया कि यह माध्यस्थम् कार्यवाही हेतु एक 'वास्तविक पक्षकार' था।

23. विद्वान एकल न्यायाधीश ने, प्रथम दृष्टया, एसबीएस द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रतिविरोधों को स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि एसबीएस ने, प्रथम दृष्टया, स्थापन किया है कि टीएसए का माध्यस्थम् कार्यवाही के परिणाम में निहित हित था, जिसने माध्यस्थम् कार्यवाही से लाभ उठाने के लिए दावेदारों को वित्त पोषित किया था।

24. विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***आर्किन बनाम बोरचर्ड लाइन लिमिटेड व अन्य***[2] और ***एक्सकैलिबर वेंचर्स एलएलसी बनाम टेक्सास कीस्टोन इंक और अन्य***[3] में निर्णयों का उल्लेख किया और उक्त निर्णयों में की गई टिप्पणियों के साथ अपनी सहमति व्यक्त की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पक्षकार, जिसने लाभ हेतु मुकदमेबाजी को वित्त पोषित किया है, यदि परिणाम उसकी अपेक्षाओं के विपरीत होता है, तो वह दायित्व से नहीं बच सकता है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवलोकन किया कि वित्त पोषण

[2] **(2005) ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 655**

[3] **(2016) ईडब्ल्यूसीए सीआईवी 1144**

व्यवस्था के माध्यम से न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता और वर्तमान मामले की तरह, मुकदमेबाजी विफल होने की स्थिति में प्रतिवादी द्वारा वहन किए जाने वाले जुर्माने के मध्य संतुलन बनाना होगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी को मुकदमे का प्रतिवाद करने के उद्देश्य से जुर्माना वहन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जो गुणागुण रहित पाया गया था और जिसे आरंभ नहीं किया गया था किंतु किसी तृतीय-पक्षकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

25. विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि, प्रथम दृष्टया, पंचाट के अंतर्गत अधिनिर्णीत जुर्माने को बीएफए के अंतर्गत वसूली योग्य जुर्माने से आच्छादित किया जाएगा क्योंकि ये दावेदारों की मुकदमेबाजी के जुर्माने थे। विद्वान एकल न्यायाधीश का प्रथम दृष्टया विचार था कि दावेदारों के अपने दावे में असफल होने के परिणामस्वरूप बीएफए की समाप्ति से एसबीएस के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीएफए माध्यस्थम् पंचाट की वाक्-प्रस्तुति तक सक्रिय रहेगा और वसूली योग्य जुर्माने माध्यस्थम् पंचाट का हिस्सा हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि एसबीएस केवल बीएफए के संदर्भ में माध्यस्थम् पंचाट को लागू करने की मांग कर रहा था।

26. विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड***[4] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संदर्भित किया, और उक्त निर्णय के आधार पर इस प्रतिविरोध को अस्वीकार कर दिया कि एक विदेशी पंचाट केवल मध्यस्थता के पक्षकार के विरुद्ध ही निष्पादित किया जा सकता है।

27. पूर्वोक्त तर्क के आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दावेदारों और टीएसए को आदेश की तिथि के अनुसार भारत या किसी अन्य क्षेत्राधिकार में धारित जमा शेष के साथ अपनी स्थिर आस्तियों और बैंक खातों का प्रकटन करते हुए एक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश देते हुए आक्षेपित आदेश जारी किया और आगे दावेदारों और टीएसए को अगले आदेशों तक माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में एसबीएस के पक्ष में अधिनिर्णीत राशि हेतु किसी भी विल्लंगमरहित स्थावर आस्तियों के संबंध में किसी भी तृतीय-पक्षकार के हित/अधिकार/अभिनाम बनाने से अवरुद्ध कर दिया।

विश्लेषण

28. शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मध्यस्थता पक्षकारगण के मध्य अपने विवादों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करने और माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय को बाध्यकारी रूप में प्रतिग्रहण करने के समझौते पर आधारित है। सहमति मध्यस्थता की आधारशिला है। माध्यस्थम् अधिकरण

[4] **(2022) 1 एससीसी 753**

पक्षकारगण के मध्य एक करार के आधार पर विवादों का न्यायनिर्णयन करने का अपना क्षेत्राधिकार प्राप्त करता है कि विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल किया जाएगा और वे पंचाट से आबद्ध होंगे। उक्त आशय के किसी भी करार के अभाव में, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी पंचाट क्षेत्राधिकार रहित होगा। यद्यपि, इस सिद्धांत को व्यापक रूप से लागू किया गया है और न्यायालयों ने, आपवादिक मामलों में, गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता से बाध्य माना है।

29. ऐसे मामलों में जहां वास्तविक लाभार्थी संविदा या करार के पक्षकार नहीं हैं, दिए गए मामलों में न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता या तो संविदा के लाभार्थी होने के नाते माध्यस्थम् करार को लागू कर सकते हैं, या अन्यथा उसी से आबद्ध होंगे।

30. गैरी बी. बॉर्न ने बताया है कि यह अभिनिर्धारित करने का विधिक आधार कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक माध्यस्थम् करार से बंधा हुआ है, इसमें *"विशुद्ध रूप से सहमति वाले सिद्धांत (जैसे अभिकरण, धारणा, समनुदेशन) और गैर-सहमति वाले सिद्धांत (जैसे विबंध, अपर स्वरुप) दोनों शामिल हैं"*।[5]

31. दिए गए तथ्यों में, जहां यह उपयुक्त है, न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता उक्त करारों पर अपनी सहमति अभ्यारोपित कर माध्यस्थम् करार से आबद्ध हैं। इनमें ऐसे मामले शामिल हैं जहां यह पाया

[5] **अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, खंड I, (तीसरा संस्करण), पृष्ठ 1531**

गया है कि संविदा का लाभ समनुदेशिती द्वारा समनुदेशित और स्वीकार किया गया है। कुछ मामलों में, जहां यह पाया जाता है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता ने समझौता-वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लिया है और संविदा में अंतर्ग्रस्त है, न्यायालयों ने अभिनिर्धारित किया है कि *"जहां एक पक्षकार स्वयं को संचालित करता है क्योंकि यह एक वाणिज्यिक संविदा हेतु पक्षकार था, समझौता-वार्ता और/या संविदा के प्रदर्शन में पर्याप्त भूमिका निभाते हुए, यह संविदा से बाध्य होने के लिए निहित सहमति हेतु अभिनिर्धारित किया जा सकता है।"*[6]

32. भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों में यह स्वीकार किया है कि एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता माध्यस्थम् करार से आबद्ध हो सकता है।

33. ***क्लोरो कंट्रोल्स (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड बनाम सेवर्न ट्रेंट वाटर प्यूरीफिकेशन इंक***[7] में, उच्चतम न्यायालय ने गैर-हस्ताक्षरकर्ता को माध्यस्थम् करार से बाध्य होने के लिए विवश करने हेतु कंपनी समूह के सिद्धांत को लागू किया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि "कंपनियों का समूह" सिद्धांत *"अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विकसित हुआ है, जिसके अंतर्गत एक कंपनी द्वारा किया गया माध्यस्थम् करार, कंपनियों के समूह में से एक होने के नाते, अपने गैर-हस्ताक्षरकर्ता सहयोगियों या बहन या माता-पिता की चिंताओं को बाध्य कर सकता है"।* उक्त सिद्धांत के अंतर्गत *"एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता*

[6] **ग्वोज़डेनोविक बनाम यूनाइटेड एयर लाइन्स, इंक: 933 एफ 2डी 1100**

[7] **(2013) 1 एससीसी 641**

पक्षकार को माध्यस्थम् के अधीन किया जा सकता है, बशर्ते कि ये लेनदेन कंपनियों के समूह के भीतर हों और पक्षकारगण का हस्ताक्षरकर्ता और गैर-हस्ताक्षरकर्ता दोनों पक्षकारगण को बाध्य करने का स्पष्ट आशय हो"

34. दिए गए मामलों में, न्यायालयों ने गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता से बाध्य होने के लिए अभिनिर्धारित किया है जो इस निगम आवरण को उठाने के आधार हैं। ऐसे मामलों में, न्यायालय गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को माध्यस्थम् करार हेतु बाध्य कर सकते हैं, इस आधार पर एक इकाई द्वारा किए गए करार को लागू करके कि गैर-हस्ताक्षरकर्ता एक हस्ताक्षरकर्ता के निगम मुखौटे के पीछे का व्यक्ति है या हस्ताक्षरकर्ता का अपर-स्वरुप है। ***चेरन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम कस्तूरी एंड संस लिमिटेड***[8] में, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया कि *"जबकि अपर-स्वरुप सिद्धांत विधि का एक नियम है जो निगमन या पृथक विधिक व्यक्तित्व के प्रभावों की अवहेलना करता है, इसके विपरीत कंपनियों का समूह सिद्धांत पक्षकारगण के आशय की पहचान करने का एक साधन है और विचाराधीन संस्थाओं के विधिक व्यक्तित्व को विक्षुब्ध नहीं करता है"।*

35. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम नारायण ने गैरी बी. बॉर्न, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्, खंड I, (तीसरा संस्करण) को संदर्भित किया और अध्याय -10 की विषय-वस्तु पर भरोसा किया। विशेष

[8] **(2018) 16 एससीसी 413**

रूप से, श्री नारायण ने धारा 10.02 शीर्षक "*गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् करार हेतु बाध्य करने का विधिक आधार*" पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि कुछ परिस्थितियों में जहां कोई तृतीय-पक्षकार संविदा के लाभों का दावा करता है, वह माध्यस्थम् खंड लागू कर सकता है या उससे बाध्य हो सकता है। स्पष्टतः, उक्त अध्याय की मुद्दे के बिंदु पर कोई प्रयोज्यता नहीं है। मुद्दे का बिंदु यह नहीं है कि क्या, किसी दी गई परिस्थिति में, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता माध्यस्थम् करार से बाध्य हो सकता है; यह है कि क्या कोई व्यक्ति जो माध्यस्थम् कार्यवाही या मध्यस्थता के पक्षकारगण के मध्य विवादों के संबंध में दिए गए पंचाट में पक्षकार नहीं है, उसे मध्यस्थता हेतु किसी पक्षकार के विरुद्ध अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां एसबीएस तृतीय-पक्षकार (टीएसए) को माध्यस्थम् खंड में आबद्ध करना चाहता है और उसे मध्यस्थता हेतु बाध्य करना चाहता है; एसबीएस टीएसए के विरुद्ध माध्यस्थम् पंचाट लागू करना चाहता है, भले ही वह माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं हुआ था या मध्यस्थता करने के लिए बाध्य नहीं था। श्री नारायण द्वारा संदर्भित पाठ उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

36. हम यह भी स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि यह एक तार्किक अनुक्रमिक है कि एक तृतीय-पक्षकार लाभार्थी, जो एक माध्यस्थम् करार से

आबद्ध हो सकता है, आवश्यक रूप से माध्यस्थम् पंचाट से आबद्ध होगा, और उसी का उन्मोचन करने के लिए बाध्य है जैसे कि यह वह पक्षकार था जिसके विरुद्ध अधिनिर्णय दिया गया है। कोई तृतीय-पक्षकार माध्यस्थम् पंचाट से केवल तभी आबद्ध हो सकता है जब उसे माध्यस्थम् पंचाट हेतु विवश किया गया हो और वह माध्यस्थम् कार्यवाही का एक पक्षकार हो।

37. निर्विवाद रूप से, यहां तक कि एक माध्यस्थम् करार पर हस्ताक्षरकर्ता भी जिसके विरुद्ध एक माध्यस्थम् करार को अवलंबित नहीं किया गया है और माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, वह उक्त कार्यवाही के अनुसार प्रदान किए गए माध्यस्थम् पंचाट से आबद्ध नहीं होगा। इस प्रकार, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध माध्यस्थम् पंचाट लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जो माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार नहीं है।

38. हम पाते हैं कि गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को मध्यस्थता हेतु बाध्य करने के सिद्धांत पर निर्भरता सुस्थापित नहीं है। इसके अलावा, एक और कारण है कि इस मामले में सिद्धांतों को अवलंबित नहीं किया जा सकता है। मध्यस्थता हेतु सहमति मौलिक है। इस प्रकार, जिन सिद्धांतों पर गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं को माध्यस्थम् करार से आबद्ध किया जा सकता है, उनकी कोई प्रयोज्यता नहीं है जहां माध्यस्थम् करार के हस्ताक्षरकर्ता स्पष्ट रूप से इसके विपरीत सहमत हुए हैं।

39. वर्तमान मामले में, एसबीएस और दावेदार इस बात पर सहमत हुए थे कि माध्यस्थम् कार्यवाही एसआईएसी नियमों के अंतर्गत संचालित की जाएगी। एसबीएस उक्त एसआईएसी नियमों से आबद्ध है और एसबीएस के लिए अब इसके विपरीत दावा करना अस्वीकार्य है। एसआईएसी नियमों के नियम 7 में अतिरिक्त पक्षकारगण के संयोजन के संबंध में प्रावधान हैं। एसआईएसी नियमों का नियम 7.1 स्पष्ट रूप से कुछ शर्तों के पूरा होने पर गैर-पक्षकारगण को मध्यस्थता में संयोजन का प्रावधान करता है। एसआईएसी नियमों के नियम 7.8 में माध्यस्थम् कार्यवाही में पक्षकारगण को जोड़ने का प्रावधान है। एसआईएसी नियमों के नियम 7.1 और 7.8 नीचे दिए गए हैं:

“अतिरिक्त दलों के संयोजन

> 7.1 अधिकरण के गठन से पहले, मध्यस्थता हेतु एक पक्षकार या गैर-पक्षकार एक दावेदार या प्रत्यर्थी के रूप में इन नियमों के अंतर्गत लंबित मध्यस्थता में संयोजित होने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त पक्षकारगण हेतु निबंधक के साथ एक आवेदन दायर कर सकता है, बशर्ते कि कोई भी निम्नलिखित मानदंडों में से एक संतुष्ट है:
>
> क. संयोजित होने वाला अतिरिक्त पक्षकार प्रथम दृष्टया माध्यस्थम् करार से आबद्ध है; या
>
> ख. संयोजित होने वाले अतिरिक्त पक्षकार सहित सभी पक्षकारगण ने अतिरिक्त पक्षकार में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।"

*** *** ***

7.8 अधिकरण के गठन के बाद, मध्यस्थता हेतु एक पक्षकार या गैर-पक्षकार एक दावेदार या प्रत्यर्थी के रूप में इन नियमों के अंतर्गत लंबित मध्यस्थता में संयोजित होने के लिए एक या अधिक अतिरिक्त पक्षकारगण हेतु अधिकरण में आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मानदंड संतुष्ट हो:

क. संयोजित होने वाला अतिरिक्त पक्षकार प्रथम दृष्टया माध्यस्थम् करार से आबद्ध है; या

ख. संयोजित होने वाले अतिरिक्त पक्षकार सहित सभी पक्षकारगण ने अतिरिक्त पक्षकार में संयोजित होने के लिए सहमति दे दी है।"

जहां उपयुक्त हो, इस नियम 7.8 के अंतर्गत अधिकरण में एक आवेदन रजिस्ट्रार के पास दायर किया जा सकता है।"

40. तथ्य यह है कि टीएसए एसबीएस और जीईएल के विरुद्ध माध्यस्थम् कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए दावेदारों को वित्त पोषित कर रहा था, इसका विधिवत प्रकटीकरण किया गया था। ट्रांसपोल की वित्तीय स्थिति से अवगत होने पर एसबीएस ने दिनांक 18.09.2020 को सुरक्षा और जुर्माने के लिए एसआईएसी को एक आवेदन दिया। माध्यस्थम् अधिकरण ने उस स्तर पर उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया, अन्य बातों के साथ, प्रत्यर्थी सं.1 से 3 (माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष दावेदार सं.1 से 3) ऐसे व्यक्ति थे जो निगम मुखौटों द्वारा संरक्षित नहीं थे, और एसबीएस ने यह सुझाव देने के लिए कोई आग्रही साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था कि व्यक्तिगत दावेदार

उनके विरुद्ध दिए गए किसी भी प्रतिकूल जुर्माने आदेश को पूरा करने में असमर्थ होंगे। एसबीएस ने टीएसए को माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न ही टीएसए के विरुद्ध कोई आदेश हासिल करने का कोई प्रयास किया।

41. एसबीएस की ओर से उपस्थित श्री गौतम नारायण ने प्रतिविरोध किया- हमारे विचार से यह सही है - कि एसआईएसी नियमों के अंतर्गत, एसबीएस के लिए टीएसए को एक पक्षकार के रूप में जोड़ना विवृत नहीं था। टीएसए न तो माध्यस्थम् करार से आबद्ध था और न ही मध्यस्थता में एक अतिरिक्त पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए सहमत था। इससे यह भी पता चलता है कि कोई भी सिद्धांत जिसके अंतर्गत गैर-हस्ताक्षरकर्ता को मध्यस्थता हेतु बाध्य किया जा सकता है, इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एसबीएस एसआईएसी नियमों से आबद्ध रहने के लिए सहमत हो गया है, जो टीएसए को मध्यस्थता में एक पक्षकार के रूप में संयोजित होने की अनुमति नहीं देता है, अब वह इसे इसके लिए बाध्य करने का प्रयास नहीं कर सकता है।

42. एसआईएसी द्वारा जारी दिनांक 31.03.20179[9] की कार्य टिप्पणी का संदर्भ लेना प्रासंगिक है। 'प्रकटीकरण' और 'जुर्माने' के संबंध में उक्त कार्य टिप्पणी का प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है:

[9] **पीएन - 01/17/(31 मार्च 2017)**

“प्रकटीकरण

5. जब तक कि विवाद करने वाले पक्षकारगण अन्यथा सहमत न हों, अधिकरण के पास ऐसा परीक्षण करने की शक्ति होगी जो अधिकरण को आवश्यक या समीचीन लगे, जिसमें किसी बाहरी वित्त-पोषक के साथ किसी भी वित्त-पोषण के संबंध के अस्तित्व का प्रकटीकरण करने का आदेश देना शामिल होगा और/ या बाहरी वित्त-पोषक की पहचान और, जहां उपयुक्त हो, कार्यवाही के परिणाम में बाहरी वित्त-पोषक के हित का विवरण, और/या बाहरी वित्त-पोषक ने प्रतिकूल जुर्माने के दायित्व लेने के लिए प्रतिबद्ध किया है या नहीं।

6. एक मध्यस्थ तुरंत विवादित पक्षकारगण का प्रकटीकरण करेगा, अन्य मध्यस्थों का और रजिस्ट्रार का किसी भी परिस्थिति में प्रकटीकरण करना होगा जो उसकी निष्पक्षता या स्वतंत्रता के रूप में उचित संदेह को जन्म दे सकती है, जिसमें कोई भी संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शामिल है, एक बाहरी वित्त-पोषक के साथ, जिसे माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान खोजा या उत्पन्न किया जा सकता है।

7. अधिकरण अनुरोध कर सकता है कि विवादित पक्ष माध्यस्थम् कार्यवाही में किसी बाहरी वित्त-पोषक की भागीदारी या बाहरी वित्त-पोषक की वापसी या परिवर्तन के बारे में जल्द से जल्द अवसर पर अधिकरण और निबंधक को सूचित करने के लिए सहमत हों।

8. अधिकरण विवादित पक्षकारगण को माध्यस्थम् कार्यवाही में किसी बाहरी वित्त-पोषक की भागीदारी या बाहरी वित्त-पोषक की वापसी या परिवर्तन के बारे में जल्द से जल्द अवसर पर अधिकरण और निबंधक को सूचित करने के उनके निरंतर दायित्व के बारे में सूचित करेगा।

जुर्माने

9. अकेले किसी बाहरी वित्त-पोषक की भागीदारी को विवादकर्ता पक्षकार की वित्तीय स्थिति के उपदर्शन के रूप में नहीं लिया जाएगा। अधिकरण विधिक और अन्य जुर्मानों के लिए सुरक्षा के आदेश में बाहरी वित्त-पोषक की भागीदारी के अलावा अन्य कारकों को भी ध्यान में रख सकता है।

10. अधिकरण माध्यस्थम् के जुर्मानों को विभाजित करने में किसी बाहरी वित्त-पोषक के अस्तित्व को ध्यान में रख सकता है।

11. अधिकरण अपने निर्णय में यह आदेश देते समय किसी बाहरी वित्त-पोषक की भागीदारी को ध्यान में रख सकता है कि एक विवादित पक्षकार की सभी विधिक या अन्य जुर्मानों का भुगतान किसी अन्य विवादित पक्षकार द्वारा किया जाए।"

43. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि वित्त-पोषण व्यवस्था का प्रकटीकरण माध्यस्थम् अधिकरण को किया जाना आवश्यक है। माध्यस्थम् अधिकरण के पास एसआईएसी नियमों के अंतर्गत किसी भी वित्त-पोषण संबंध के अस्तित्व के संबंध में प्रकटीकरण का आदेश देने की शक्ति भी है। इसका उद्देश्य माध्यस्थम् अधिकरण को जुर्माना अधिनिर्णीत करते समय उस पर विचार करने में सक्षम बनाना है। यद्यपि, माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकारगण के मध्य जुर्माने का आवंटन कर सकता है; यह किसी तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषक के विरुद्ध जुर्माना अधिनिर्णीत नहीं कर सकता। निस्संदेह, यह तथ्य कि दावेदारों को टीएसए द्वारा वित्त-पोषित किया गया था, जुर्माने हेतु सुरक्षा के एसबीएस के अनुरोध पर विचार करने के उद्देश्य से एक प्रासंगिक कारक

था। हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस अनुरोध का प्रत्याख्यान कर दिया गया था।

44. हमारे लिए इस प्रश्न पर और गहनता से विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या टीएसए, एक गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, माध्यस्थम् कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा सकता है या माध्यस्थम् करार से आबद्ध हो सकता है। यह कहना पर्याप्त है कि टीएसए को एसआईएसी नियमों के अंतर्गत माध्यस्थम् कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जा सकता है और एसबीएस ने टीएसए को माध्यस्थम् कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

45. टीएसए पर माध्यस्थम् पंचाट के अंतर्गत किसी भी राशि का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है। माध्यस्थम् अधिकरण ने जुर्माने का अधिनिर्णय एसबीएस के पक्ष में और दावेदारों के विरुद्ध दिया है, टीएसए के विरुद्ध नहीं। ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 सुरक्षा के अंतरिम उपायों का संरक्षण प्रदान करती है। ए एंड सी अधिनियम की धारा 9(1) एक पक्षकार को "माध्यस्थम् कार्यवाही से पहले या उसके दौरान या माध्यस्थम् पंचाट देने के बाद किसी भी समय परंतु ए एंड सी अधिनियम की धारा 36 के अनुसार लागू होने से पहले मध्यस्थता में विवाद की राशि को सुरक्षित करने सहित ऐसे अंतरिम उपायों के लिए न्यायालय में आवेदन करने में सक्षम बनाती है"।

46. ए एंड सी अधिनियम की धारा 36(1) में प्रावधान है कि माध्यस्थम् पंचाट को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार उसी प्रकार लागू किया जाएगा जैसे कि यह न्यायालय की डिक्री थी। यह अतिसामान्य विधि है कि किसी डिक्री को उसकी अवधि के दौरान निष्पादित किया जाना चाहिए और निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के पीछे जाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। टीएसए माध्यस्थम् पंचाट का पक्षकार नहीं है। यदि इसे ए एंड सी अधिनियम की धारा 36(1) के अंतर्गत अपेक्षित डिक्री के रूप में लागू किया जाता है, तो इसे माध्यस्थम् पंचाट के अंतर्गत निर्णीत-ऋणी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

47. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 अंतरिम उपायों का प्रावधान करती है और माध्यस्थम् पंचाट को लागू करने में सहायता के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 का आश्रय उपलब्ध है। यद्यपि, इस मामले में माध्यस्थम् पंचाट टीएसए के विरुद्ध नहीं है और इसलिए, ए एंड सी अधिनियम की धारा 36(1) के अंतर्गत टीएसए के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। यद्यपि यह तात्विक नहीं हो सकता है, परंतु एसबीएस ने टीएसए के दायित्व निर्धारित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। दी गई परिस्थितियों में, टीएसए के विरुद्ध विवाद में राशि सुरक्षित करने के लिए ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक आवेदन पोषणीय नहीं है।

48. हम विद्वान एकल न्यायाधीश के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ हैं कि टीएसए बीएफए के अनुसार जुर्माने का भुगतान करने के लिए बाध्य है। सबसे पहले, टीएसए उपरोक्त दृष्टिकोण का विरोध करता है और बीएफए के अंतर्गत कोई और भुगतान करने के लिए किसी भी दायित्व का प्रत्याख्यान करता है। टीएसए यह स्वीकार नहीं करता है कि वह दावेदारों का ऋणी है और यह दावेदारों की किसी भी आस्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे प्रवर्तन कार्यवाही में संलग्न किया जा सकता है। उक्त विवाद का न्यायनिर्णयन नहीं किया गया है।

49. दूसरे, बीएफए का सादा पठन उक्त दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है। बीएफए का अनुच्छेद 1, जो इसके उद्देश्य और वित्तपोषण की परिधि को निर्धारित करता है, नीचे दिया गया है:

“1) बीएफए का उद्देश्य

क) बीएफए का उद्देश्य उस निधि के लिए है, जो एक अनुज्ञप्ति प्राप्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसकी पंजीकरण सं.: बी-0506835 है और यह अन्य के अलावा मुकदमेबाजी वित्तपोषण का प्रमुख व्यवसाय है। यह निधि दिनांक 10.12.2018 के बोर्ड संकल्प के माध्यम से वित्त-पोषण करार के अंतर्गत दावेदारों की ओर से क्रेताओं को निधि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त करती है और ट्रांसपोल इंडिया की विक्रय और उद्देश्य के संबंध में वाणिज्यिक उपक्रमों के उल्लंघन हेतु एसबीएस होल्डिंग्स इंक(जापान) और ग्लोबल एंटरप्राइज लॉजिस्टिक पीटीई लिमिटेड(सिंगापुर)(“प्रत्यर्थीगण”) के विरुद्ध लगभग 250 करोड़

रुपये के दावे और नुकसान की वसूली हेतु आवश्यकतानुसार, और समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है जैसा कि लिखित रूप में निधि("दावा") के साथ सहमति हुई है। मध्यस्थता सिंगापुर में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ("एसआईएसी") के नियमों के अंतर्गत है।

ख) बीएफए उन निबंधन और शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत दावेदार और नियुक्त वकील प्रत्यर्थी के नुकसान की वसूली के विरुद्ध दावे को आगे बढ़ाने में निधि की वित्तीय सहायता का उपयोग करते हैं और इसके बारे में भी कि कैसे पक्षकारगण के मध्य संपूर्ण पुनर्प्राप्त नुकसान को वितरित किया जाएगा।

ग) यह निधि अनाश्रयी आधार पर बजट योजना के अनुसार दावे को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दावा सफल न होने की स्थिति में निधि अपने खोए हुए निवेश के लिए वकीलों या दावेदारों से वित्तीय सहायता नहीं मांगेगी।"

50. बीएफए के अनुच्छेद 1 के खंड (क) के सादे पठन से पता चलता है कि टीएसए ने एसबीएस और जीईएल के विरुद्ध दावों को आगे बढ़ाने और नुकसान की वसूली के लिए दावेदारों की ओर से वकीलों को वित्त-पोषित करने पर सहमति व्यक्त की थी। बीएफए के अनुच्छेद 1 के खंड (ग) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि टीएसए अनाश्रयी आधार पर बजट योजना के अनुसार दावे को आगे बढ़ाने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार, यदि दावेदार असफल होते हैं, तो टीएसए के पास वकीलों या दावेदारों के विरुद्ध वित्तपोषित राशि की वसूली हेतु कोई आश्रय नहीं होगा।

51. बीएफए का अनुच्छेद 2 बजट और बजट योजनाओं का प्रावधान करता है। टीएसए ने पक्षकारगण के मध्य सहमत बजट योजना के अनुसार अपने दावे को पूरा करने के लिए दावेदारों की ओर से मध्यस्थता और वकीलों के लिए सहमत शुल्क को वित्तपोषित करने पर सहमति व्यक्त की थी। टीएसए की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना उक्त बजट योजना को बढ़ाया नहीं जा सकता।

52. बीएफए का अनुच्छेद 3 वित्त-पोषण प्रक्रिया का प्रावधान करता है। पक्षकारगण ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि दावों को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त वकीलों को टीएसए से निधि प्राप्त करने के लिए एक ग्राहक खाता खोलने की आवश्यकता होगी। बीएफए के अनुच्छेद 3 के खंड (ख) में प्रावधान है कि वकीलों, सिंगापुर के विधिक अधिवक्ता और विशेषज्ञों द्वारा किए गए कार्य के लिए चालान(इनवॉइस) और बजट योजना के अनुसार सभी शुल्क, जुर्माने और संवितरण का खर्च टीएसए उठाएगा। अनुच्छेद 3 किसी भी राशि या संपत्ति के वितरण का भी प्रावधान करता है जिसे दावों के सफल होने की स्थिति में पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

53. बीएफए का कोई भी खंड टीएसए को किसी प्रतिकूल पंचाट के वित्तपोषण हेतु कोई दायित्व प्रदान नहीं करता है। बीएफए का अनुच्छेद 7 बीएफए की अवधि और समाप्ति का प्रावधान करता है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है:

"7) अवधि और समाप्ति

क) यह बीएफए हस्ताक्षर करने पर प्रभावी होगा और निम्नलिखित के जल्द से जल्द घटित होने तक प्रभावी रहेगा:

i) वसूले गए नुकसान को बीएफए के अनुसार पक्षकारगण को वितरित किया जाता है; या

ii) फंड सोचता या मानता है कि दावा जीतना अब वास्तविक रूप से प्राप्य नहीं है;

iii) एसबीएस जापान अब मध्यस्थता में एक पक्षकार नहीं है; या

iv) दावा सफल नहीं है।"

54. बीएफए का प्रभाव समाप्त हो गया था क्योंकि माध्यस्थम् कार्यवाही में दावेदार अभिभावी नहीं हुए थे। एसबीएस के पक्ष में जुर्माने का अधिनिर्णय दावेदारों के दावे में विफल होने के कारण दी गई राहत है।

55. बीएफए के अनुच्छेद 9 के अनुसार, बीएफए से उत्पन्न किसी भी विवाद को मध्यस्थता हेतु भेजा जाना आवश्यक है। यह भी स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि मध्यस्थता का स्थान कोलकाता होगा और किसी भी अंतरिम राहत के संबंध में कोलकाता के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

56. ***आर्किन बनाम बोरचर्ड लाइन लिमिटेड व अन्य*** तथा ***एक्सकैलिबर वेंचर्स एलएलसी बनाम टेक्सास कीस्टोन इंक और अन्य*** के मामले में एसबीएस के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया था और

आक्षेपित आदेश में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी संदर्भित किया गया था, वे पूर्ण रूप से अप्रयोज्य हैं। उक्त निर्णय उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 51(1) और (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए थे, जो यूनाइटेड किंगडम में कुछ न्यायालयों को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है कि जुर्माने का भुगतान किसके द्वारा और किस हद तक किया जाना है।

57. उच्चतम न्यायालय अधिनियम, 1981 को अब वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम, 1981 कहा जाता है। वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 51 की उपधारा (1), (2) और (3) इस प्रकार पढ़ी जाती है:

> **"51 अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय और काउंटी न्यायालयों के सिविल प्रभाग में जुर्माने।**
>
> (1) इस या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों और न्यायालय के नियमों के अधीन, सभी कार्यवाहियों के जुर्माने और उनसे संबंधित
>
> (क) अपील न्यायालय का सिविल प्रभाग;
>
> (ख) उच्च न्यायालय; और
>
> (ख क) कुटुंब न्यायालय;
>
> (ग) जिला न्यायालय, न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा।
>
> (2) न्यायालय के नियम बनाने की किसी सामान्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम उन कार्यवाहियों के जुर्मानों से संबंधित मामलों को विनियमित करने का प्रावधान कर सकते हैं, जिनमें विशेष रूप से, विधिक या अन्य प्रतिनिधियों को भुगतान किए

जाने वाले जुर्माने के पैमाने निर्धारित करना या यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे प्रतिनिधियों को उसके द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने के संबंध में किसी पक्षकार को दी गई राशि उसके द्वारा देय राशि तक सीमित नहीं है यदि उन पर जुर्माना अधिनिर्णीत नहीं किया गया था।

(3) न्यायालय के पास यह निर्धारित करने की पूरी शक्ति होगी कि जुर्माने का भुगतान किसे और किस हद तक करना है।"

58. ***एडेन शिपिंग कंपनी लिमिटेड बनाम इंटरबल्क लिमिटेड, द विमेरिया*** में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अभिनिर्धारित किया कि उपरोक्त शक्ति व्यापक शर्तों में थी और इसे नियम बनाने वाले प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया था ताकि न्यायालय के नियमों द्वारा इसके प्रयोग को नियंत्रित किया जा सके और अपील न्यायालय हेतु इसके प्रयोग के लिए सिद्धांत स्थापित किए जा सकें। यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय की शक्ति केवल मुकदमेबाजी के एक पक्षकार के विरुद्ध जुर्माना अधिनिर्णीत करने तक सीमित नहीं थी।

59. यूनाइटेड किंगडम में न्यायालयों में कार्यवाही हेतु सिविल प्रक्रिया नियम (सीपीआर) 1997 में सिविल प्रक्रिया अधिनियम, 1997 द्वारा पेश किए गए थे। सिविल प्रक्रिया नियम का भाग 48 (शीर्षक 'जुर्माने- विशेष मामले') विशेष मामलों में जुर्माना अधिनिर्णीत करने के लिए बनाई गई प्रक्रिया से संबंधित है। सिविल प्रक्रिया नियम का नियम 48.2, जिसे नियम 46.2 के रूप में पुनः जाना जाता है, स्पष्ट रूप से गैर-पक्षकारगण के पक्ष में या उनके विरुद्ध जुर्माने आदेशों की प्रक्रिया को प्रदान करता है।

60. यूनाइटेड किंगडम में वर्तमान में लागू सिविल प्रक्रिया नियम, 1998 की धारा क का नियम 46.2 इस प्रकार है:

"गैर-पक्षकारगण के पक्ष या विपक्ष में जुर्माने के आदेश

46.2-(1) जहां न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम 1981 की धारा 51 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाए (जुर्माने न्यायालय के विवेक पर है) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में या उसके विरुद्ध जुर्माने का आदेश देने के लिए जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है, उस व्यक्ति को-

(क) केवल जुर्माने के प्रयोजनों के लिए कार्यवाही में एक पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना चाहिए; और

(ख) सुनवाई में शामिल होने का उचित अवसर दिया जाए, जिस पर न्यायालय मामले पर आगे विचार करेगा।

(2) यह नियम लागू नहीं होता है-

(क) जहां न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या-

(i) उन कार्यवाहियों में लॉर्ड चांसलर के विरुद्ध आदेश देना जिनमें लॉर्ड चांसलर ने कार्यवाही में भाग लेने वाले पक्षकार को विधिक सहायता प्रदान की है;

(ii) व्यर्थ जुर्माने का आदेश बनाएं (जैसा कि नियम 46.8 में परिभाषित है); और

(ख) उन कार्यवाहियों में जिनमें नियम 46.1 लागू होता है (शुरू होने से पहले प्रकटीकरण और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध प्रकटीकरण के आदेश जो पक्षकार नहीं है)।"

61. इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया नियम को वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम 1981 की धारा 51 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए अधिनियमित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जुर्माने का आदेश देने के लिए वरिष्ठ न्यायालय अधिनियम, 1981 की धारा 51 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करता है, जो एक पक्षकार नहीं था, सिविल प्रक्रिया नियम 46.2 के संदर्भ में, यह आवश्यक है कि उक्त व्यक्ति यद्यपि जुर्माने के प्रश्न के निर्धारण के उद्देश्य से एक पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है। तृतीय-पक्षकार को सुनवाई में भाग लेने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिस पर न्यायालय मामले पर विचार करेगा।

62. आपवादिक परिस्थितियों में गैर-पक्षकारगण के विरुद्ध जुर्माने का आदेश देना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी गैर-पक्षकारगण के विरुद्ध जुर्माने का अधिनिर्णय देना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न कि क्या जुर्माना अधिरोपित करना आवश्यक है; जुर्माने की मात्रा क्या है; वे कौन से पक्षकारगण हैं जिन्हें जुर्माना वहन करना अपेक्षित है; और किस अनुपात में, ऐसे मामले हैं जिनका निर्धारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ऐसे निर्धारण से प्रभावित व्यक्ति को सुने बिना इन प्रश्नों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

63. यूनाइटेड किंगडम में स्वीकार किए गए सामान्य सिद्धांतों में से एक, गैर-पक्षकार(गण) के विरुद्ध जुर्माने का अधिनिर्णय करने के संदर्भ में यह है कि *"एक गैर-पक्षकारगण को आम तौर पर उन जुर्मानों के लिए दायी नहीं होना चाहिए जो किसी भी घटना में कार्यवाही में गैर-पक्षकारगण की भागीदारी रहित होती हैं, यद्यपि स्थिति भिन्न हो सकती है जहां कई गैर-पक्षकारगण ने मिलकर काम किया है।"*

64. ***सिम्फनी ग्रुप पीएलसी बनाम हॉजसन*** में, यूनाइटेड किंगडम के अपील न्यायालय ने गैर-पक्षकार(गण) के विरुद्ध जुर्माने के आदेश के रूप में दिशानिर्देशों का सुझाव दिया था। मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक यह है कि "न्यायाधीश को इस संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि किसी गैर-पक्षकार के विरुद्ध जुर्माने के लिए एक आवेदन विधिक रूप से सहायता प्राप्त कक्षीकार के विरुद्ध जुर्मानों के लिए प्रभावी आदेश प्राप्त करने में असमर्थता के विद्वेष से प्रेरित था।"

65. इस न्यायालय में तृतीय-पक्षकारगण के विरुद्ध जुर्माने का अधिनिर्णय करने के लिए कार्यवाही में कोई नियम लागू नहीं हैं। जुर्माने निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए तृतीय-पक्षकारगण को शामिल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा करने का प्रस्ताव करता है, तो उक्त दावेदार के लिए उस संबंध में ठोस कार्रवाई करना आवश्यक होगा। दावे के समर्थन में आवश्यक प्रकथन अभिवाक्

करना आवश्यक है। यदि दावा विवादित है और विचारणीय मुद्दा उठाता है, तो उस पर विचारण करना आवश्यक है।

66. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXA में जुर्माने के प्रावधान शामिल हैं। आदेश XXA के नियम 2 में प्रावधान है कि जुर्माने उन नियमों के अनुसार होंगे जो उच्च न्यायालय इस संबंध में बना सकता है। इस न्यायालय ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है जो उन व्यक्तियों से जुर्माने की वसूली पर विचार करता हो जो वाद/कार्रवाई में पक्षकारगण नहीं हैं।

67. इन परिस्थितियों में, यह स्वीकार करना कठिन है कि यूनाइटेड किंगडम में सिविल प्रक्रिया नियम, 1998 के अंतर्गत गैर-पक्षकारगण पर जुर्माना अधिरोपित करने के उद्देश्य से जिस प्रक्रिया पर विचार किया गया है, वह भारत में सिविल कार्यवाही पर लागू है।

68. ***आर्किन बनाम बोरचर्ड लाइन लिमिटेड व अन्य*** तथा ***एक्सकैलिबर वेंचर्स एलएलसी बनाम टेक्सास कीस्टोन इंक और अन्य*** के निर्णयों पर भरोसा करना भी अनुचित है क्योंकि उक्त मामले विचारण न्यायालय द्वारा जुर्मानों के अधिनिर्णय से संबंधित हैं न कि माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा। सिविल प्रक्रिया नियम का नियम 46.2 माध्यस्थम् कार्यवाही पर प्रयोज्य नहीं है। श्री नारायण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है जहां सिविल प्रक्रिया नियम के नियम 46.2 को मध्यस्थता में लागू किया गया हो।

69. यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि एसबीएस माध्यस्थम् पंचाट को लागू करने में सहायता के लिए अंतरिम उपाय चाहता है, न कि किसी वाद में तृतीय-पक्षकार के विरुद्ध जुर्माना। इस प्रकार, किसी विचारण में जुर्माने का अधिनिर्णय करने की न्यायालयों की शक्तियों की यह निर्धारित करने में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी कि अधिनिर्णीत राशि उस व्यक्ति से वसूल की जा सकती है जो माध्यस्थम् कार्यवाही या माध्यस्थम् पंचाट का पक्षकार नहीं है।

70. हमारा विचार है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर कार्यवाही करने में गलती की है कि ***आर्किन बनाम बोरचर्ड लाइन लिमिटेड व अन्य*** और ***एक्सकैलिबर वेंचर्स एलएलसी बनाम टेक्सास कीस्टोन इंक और अन्य*** में निर्णय इस प्रतिपादना हेतु प्राधिकार हैं कि माध्यस्थम् कार्यवाही में अधिनिर्णीत जुर्मानों को तृतीय- पक्षकार के वित्त-पोषक के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जो माध्यस्थम् कार्यवाही का पक्षकार न हो।

71. ***जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड*** के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश का संदर्भ भी अनुपयुक्त है। उक्त मामले में, गैर-हस्ताक्षरकर्ता जिसने एक माध्यस्थम् पंचाट के प्रवर्तन का प्रतिरोध करने की मांग की थी, वह माध्यस्थम् कार्यवाही का एक पक्षकार था और उस मामले में माध्यस्थम् पंचाट उक्त गैर-हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। यह प्रश्न कि क्या किसी गैर-हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध एक विदेशी पंचाट को न्यायालय द्वारा यह परीक्षण किए बिना लागू

किया जा सकता है कि क्या गैर-हस्ताक्षरकर्ता माध्यस्थम् करार से आबद्ध था, उक्त मामले में संविवाद की विषय-वस्तु था। ***जेमिनी बे ट्रांसक्रिप्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम इंटीग्रेटेड सेल्स सर्विस लिमिटेड*** के निर्णय में कोई आवेदन नहीं है जहां किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पंचाट लागू करने की मांग की जाती है जो माध्यस्थम् कार्यवाही में पक्षकार नहीं है और जिस पर पंचाट के संदर्भ में कोई दायित्व अधिरोपित नहीं किया गया है।

72. निष्कर्ष निकालने से पहले, श्री नारायण के इस प्रतिविरोध पर विचार करना भी प्रासंगिक है कि न्यायशास्त्र विकसित करना आवश्यक है, जिससे तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषकों को असफल होने पर निर्दोष व्यक्तियों को वित्त-पोषण हेतु जवाबदेह ठहराया जा सके। ऐसे व्यक्तियों को अपने दावों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता का विस्तारण देने से गैर-दावेदारों को जुर्माने उपगत करने पड़ेंगे जिसे वे दावेदारों के विफल होने की स्थिति में वसूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तृतीय-पक्षकार के वित्तपोषक अपने दावों में सफल होने वाले दावेदारों के लाभ प्राप्त करने के लिए मुकदमेबाजी को वित्तपोषित करते हैं; इस प्रकार ऐसे दावे विफल होने पर उन्हें जुर्मानों का भुगतान करने के लिए भी दायी होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस मामले में एसबीएस के पक्ष में अधिनिर्णीत जुर्मानों के भुगतान हेतु टीएसए को दायी ठहराना उपयुक्त होगा।

73. हम उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तृतीय-पक्षकार का वित्त-पोषण आवश्यक है। तृतीय-पक्षकार के वित्तपोषण के अभाव में, वैध दावा करने वाला व्यक्ति विधिसम्मत रूप से देय राशि की वसूली हेतु इसे आगे बढ़ाने में असमर्थ होगा। कई मामलों में, दावेदार उसी कारण से निर्धन हो जाते हैं जिसके लिए वे निवारण चाहते हैं। मध्यस्थता में दावों को आगे बढ़ाने का जुर्माना महत्वपूर्ण है; इसमें न केवल मध्यस्थों और संस्थानों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क शामिल है, अपितु विधिक अधिवक्तागण और विशेषज्ञों हेतु पेशेवर शुल्क और अन्य संबंधित खर्च भी शामिल हैं। तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषकों की अनुपस्थिति में, आवश्यक साधनों से रहित व्यक्ति के पास कोई आश्रय नहीं होगा। तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषक न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

74. तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अभिदर्शन के बारे में पूरी तरह से जागरूक हों। उन पर दायित्व नहीं डाला जा सकता, जिसका भार उन्होंने अपने ऊपर लिया हो और न ही इसके बारे में जानते हैं। इस संबंध में कोई भी अनिश्चितता, तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषकों को मुकदमेबाजी के लिए वित्त-पोषित करने से विरत करेगी।

75. उपरोक्त कथनों के बाद, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पारदर्शिता हो और पक्षकारगण वित्त-पोषण शोषक न हो। यह तथ्य कि किसी

पक्षकार को तृतीय-पक्षकारगण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, यह विचार करने में एक प्रासंगिक तथ्य है कि क्या दूसरे पक्षकार को सुरक्षित करने के लिए आदेश देने की आवश्यकता है। यद्यपि, किसी ऐसे गैर-पक्षकार के विरुद्ध माध्यस्थम् पंचाट लागू करने की अनुमति देना जिसने ऐसा कोई जोखिम स्वीकार नहीं किया है, न तो वांछनीय है और न ही अनुज्ञेय है। जबकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि माध्यस्थम् कार्यवाही में वित्त-पोषण व्यवस्था के संबंध में पारदर्शिता और प्रकटीकरण हेतु कुछ नियमों को बनाने की आवश्यकता है, तृतीय-पक्षकार के वित्त-पोषकों को एक साथ ऐसे दायित्व में शामिल करके अनिश्चितता का तत्व लाना प्रतिकूल होगा, जिसे वहन करने के लिए वे सहमत नहीं हैं।

निष्कर्ष

76. यह आक्षेपित आदेश, इस हद तक कि यह टीएसए के विरुद्ध निर्देशित है - अर्थात्, टीएसए को अपनी आस्तियों का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है, इसे माध्यस्थम् पंचाट के संदर्भ में अधिनिर्णीत राशि हेतु सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है, और इसे अपनी आस्तियों का अन्यसंक्रामण करने या उन पर विल्लंगम करने से रोकता है - अपास्त किया जाता है।

77. उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपील को अनुज्ञात किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निपटान कर दिया गया है।

न्या. विभु बखरु

न्या. अमित महाजन

29 मई, 2023
जीएसआर/आर.के.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*